

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत गुडवा देवी पति श्री बासदेव साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 21 के अधीन प्लॉट सं. 537, 549, 611, 696, 697, 698, 699, 1101, 1189, 1190, 2115, 2107P एवं 2112P जो अधिसुचना संख्या 1384, दिनांक 09.5.2003 के अंतर्गत अधिग्रहित है एवं प्लॉट सं. 844, 867, 872, 990, 991, 998, 1009, 1088, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2082, 2086, 2090, 2095, 2096, 2099, 2100, 2105, 2107P, 2112P, 2079 एवं 1110 जो अधिसुचना संख्या. 870 E, दिनांक 09.5.2003 के अंतर्गत अधिग्रहित है जिसका कुल रकवा 10.405 एकड़ है एवं उक्त भूमि के अधिग्रहण के एवज मे मुआवजा का प्रस्ताव प्रस्तावित की गई है।

क.ऊपर उल्लेखित खाता स. 118 अंतर्गत प्लॉट संख्या. 537, 549, 611, 696, 697, 698, 699, 1101, 1189, 1190, 2115, 844, 867, 872, 990, 991, 998, 1009, 1088, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2082, 2086, 2090, 2095, 2096, 2099, 2100, 2105, 2107, 2112, 2079 एवं 1110, कुल रकवा 10.405 एकड़ है एवं भूमि रैयती खाते की है एवं गुडवा देवी पति बासदेव साव के नाम जमाबंदी दर्ज है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_emplo_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से 10 (दस) दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे विभागाध्यक्ष, (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त 10 (दस) दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: : चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के खाता संख्या 21 के अधीन प्लॉट सं. 537, 549, 611, 696, 697, 698, 699, 1101, 1189, 1190, 2115, 844, 867, 872, 990, 991, 998, 1009, 1088, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2082, 2086, 2090, 2095, 2096, 2099, 2100, 2105, 2107, 2112, 2079 एवं 1110, कुल रकवा 10.405 एकड़ रैयती भूमि, जिसे जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है एवं गुडवा देवी पति श्री बासदेव साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विभागाध्यक्ष
8/11/22

(भूमि एवं राजस्व)
सी.सी.एल.राँची

संगल राम
28/11/2022
राजस्व बिरीक

19/11/2022
28/11/22
8/11/2022